गन्ना किसानों के लिए आगे आए मोदी

पहली अगस्त को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाई गई है उच्चस्तरीय बैठक

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

- वित्त, कृषि, खाद्य, पेट्रोलियम के मंत्रियों के साथ करेंगे बातचीत
- सात हजार करोड़ बकाया से हलकान हैं उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक
- घाटे से तंग चीनी मिलें हो चुकी हैं बीमार

लागत से कम मूल्य पर चीनी बिकने की वजह से जहां मिलें भारी घाटे के दलदल में फंस चुकी है, वहीं गन्ना किसानों का बकाया हजारों करोड़ में पहुंच गया है। राज्य सरकारों की उदासीनता से चीनी उद्योग और गन्ना किसानों की दशा खराब हो गई है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनौती की कमान अपने हाथ में ले ली है। मोदी ने एक अगस्त को सात रेसकोर्स रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है।

बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, कृषि राज्यमंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत सभी आला अफसरों को बुलाया गया है। इसके मद्देनजर सभी मंत्रालयों में तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक के गन्ना किसानों का एरियर भुगतान न होने से उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई है। घाटे से तंग चीनी मिलें बीमार हो चुकी हैं, जिन्हें उबारने को लेकर राज्यस्तर पर कोई पहल नहीं हो रही है। केंद्र सरकार ने इस मसले को सुलझाने के लिए सभी पक्षकारों से कई दौर की वार्ता की और कई रियायतों की घोषणाएं भी की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने इस बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की उदासीनता से गन्ना किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने चीनी उद्योग और गन्ना किसानों की समस्या का निराकरण करने के लिए दूरगामी योजनाएं तैयार की हैं। हालांकि, तात्कालिक योजना न होने से गन्ना किसानों का सब्र टूटने के कगार पर है। राज्य सरकारों के पास समस्या के समाधान का अधिकार है, लेकिन उनकी ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

बालियान ने बताया कि पिछले दिनों गन्ना किसानों के एरियर भुगतान के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के होमगार्ड मंत्री को भेजा था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहां से भेजी चिट्ठी का जवाब तक भेजना मुनासिब नहीं समझा। राज्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुछ चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य का पांच से 10 फीसद ही भुगतान किया है। उनके खिलाफ राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मामले में केंद्र सरकार की अपनी सीमाएं है।

दैनिक जागरण
31/7/15